कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उतपादन-शाखा), सतपुड़ा भवन,
मध्य प्रदेश, भोपाल – 462004

....

क्रमांक/एफ/05/सम/उत्पा./ते.प./रजि./52/013/1048 भोपाल, दिनांक 21/3/2013

प्रति

समस्त मुख्य वन संरक्षक / पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्य प्रदेश

विषय :- तेन्दुपत्ता व्यापारियों के पंजीयन के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/सम/उत्पा./रजि./तेप/बीड़ी/122/88, भोपाल, दिनांक 07/01/2010 एवं पत्र क्रमांक/सम/उत्पा./रजि./तेप/बीड़ी/52/010/466, भोपाल, दिनांक 01/02/2010.

----0----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता था कि म0 प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-26.02.2002 10-3 दिनांक 06 जनवरी 2009 के द्वारा म0 प्र0 तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) 1966 के नियम क्रमांक 8(2) में संशोधन करते हुए "बीडियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक" के स्थान पर शब्द "विनिर्माता और व्यापारी" स्थापित किये गये है। उक्त अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति इस कार्यालय के पत्र पृ. क्रमांक/338 दिनांक 24.01.2009, पत्र क्रमांक/88 दिनांक 07.01.2010 तथा पत्र क्रमांक/466 दिनांक 01.02.2010 द्वारा शासन निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में अपर प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ के पत्र क्रमांक/वो/उत्पा./110/3474 दिनांक 14.03.2013 द्वारा उल्लेख किया है कि संशोधन उपरांत वन मंडलाधिकारियों द्वारा ते.प. व्यापारियों/बीड़ी निर्माताओं का जो पंजीयन किया जाता हैं। उसमें निम्न बिन्दु स्पष्ट नहीं होते हैं :-

1 – प्रारूप "च" या "ज" उपयोग करना हैं।

2 – बीड़ियों के निर्माता हैं या तेन्दुपत्ता व्यापारी।

3 – प्रौप्राईटर फार्म हो तो, प्रौप्राईटर का नाम।

4 – पता पूर्ण नही होता।

5 – पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक अंकित नहीं रहती।

उपरोक्त त्रुटियों का सुधार करने हेतु अपने स्तर से समस्त वनमंडलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करें, ताकि पंजीयन में एकरूपता रहें।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि, ते.प. व्यापारियों के पंजीयन के संबंध में शासन निर्देशानुसार संशोधित प्रमाण-पत्र जारी किये जावें एवं शासन निर्देशों का कढ़ाई से पालन करने हेतु वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/एफ/05/सम/उत्पा./ते.प./रजि./52/013/1049 भोपाल, दिनांक 21/3/2013

प्रतिलिपि :-

3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक/वनो उतपा./110/3474 दिनांक 14.03.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
4. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल